अनुदान संख्या 95 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 95–ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00*	*47*	*–53*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	906,98,00	1018,84,00	1006,58,68	–12,25,32
पूरक	Supplementary	111,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		208,32,00	192,71,93	–15,60,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,17,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1225.32 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 11186.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1225.32 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of Rs.11186.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रलय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष ''2055''	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	5094.00	4220.71	4161.80	–58.91
पु.	R.	–873.29			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	873.00	954.10	940.29	–13.81
पु.	R.	81.10			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	1579.00	3.00	1.40	–1.60
पु.	R.	–1576.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	47.00	12550.90	12353.18	–197.72
पू.	S.	10000.00			
पु.	R.	2503.90			
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C-Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1838.00	1405.00	1402.00	–3.00
पु.	R.	–433.00			
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	13210.00	12983.00	12819.19	–163.81
पु.	R.	–227.00			

				Total grant कुल अनुदान	Actual expenditure वास्तविक व्यय	Saving– बचत-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ज-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	**H - Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution** Major Head "3456" Civil Supplies					
मू.	O.	466.00				
				361.78	349.94	–11.84
पु.	R.	–104.22				
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	**I - Ministry of Health and Family Welfare** Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	3878.00				
				4501.38	4430.57	–70.81
पु.	R.	623.38				
ञ-प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	**J - Department of Elementary Education and Literacy** Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	5118.00				
				5462.80	5344.44	–118.36
पु.	R.	344.80				
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	**K - Department of Secondary Education and Higher Education** Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	4432.00				
				4831.58	4709.30	–122.28
पु.	R.	399.58				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	499.00	636.96	626.10	–10.86
पु.	R.	137.96			
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाशस्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	5425.00	5921.17	5897.01	–24.16
पु.	R.	496.17			
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	13640.00	12763.00	12736.04	–26.96
पु.	R.	–877.00			
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	7838.00	7512.20	7432.10	–80.10
पु.	R.	–325.80			
य-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**Z - Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	323.00	156.25	155.62	–0.63
पु.	R.	–166.75			

(I) बाईस शीर्षों के अंतर्गत 2545.46 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 2375.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - वन अतिक्रमणकर्ताओं का पुनर्वास/की पुनःस्थापना''- 1577.00 लाख रु. प्रशासन द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज को लागू किए जाने में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति''-

(i) ''जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद''- 206.00 लाख रु.;

(ii) ''ब्लाक पंचायतें/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें - पंचायत समिति''- 196.00 लाख रु.; और

(iii) ''ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता''- 196.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित निकायों को जारी की गई निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद''- 200.00 लाख रु. जिला परिषद द्वारा निधियों की कम मांग किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन''- 557.81 लाख रु. की बचत (1278.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ए.के. 47 और कारबाईन मशीन, मोटर वाहनों के लिए स्वीकृति प्राप्त न किए जाने, राशन धन भत्ते का भुगतान किए जाने तथा रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) ''जिला पुलिस - जिला पुलिस स्थापना''- 108.04 लाख रु. की बचत (2974.91 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय से नए वाहनों की खरीद के लिए

(I) Provision of Rs.2545.46 lakhs remained wholly unutilised under twenty two heads; of these Rs.2375.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes – Rehabilitation/ Resettlement of Forest Encroachers" – Rs.1577.00 lakhs – due to stay ordered by the Hon'ble Supreme Court of India in implementing the rehabilitation package proposed by the Administration.

(B) Major Head "2215" – "Water Supply" –

(i) "Zilla Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad"- Rs.206.00 lakhs;

(ii) "Block Panchayats/Intermediate Level Panchayat - Panchayat Samiti" – Rs.196.00 lakhs; and

(iii) "Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat" – Rs.196.00 lakhs.

Savings under the above three heads were due to non-utilisation of funds released to respective bodies.

(C) Major Head "2202" – "Secondary Education- Zilla Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad" – Rs.200.00 lakhs – due to less demand for funds by Zilla Parishad.

(II) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Police – Indian Reserve Battallion"- saving of Rs.557.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1278.20 lakhs) was due to non-reciept of sanction for A.K.47 and Carbine machine, motor vehicles, payment of ration money allowance and non-filling up of vacant posts.

(B) "District Police - District Police Establishment" - saving of Rs.108.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2974.91 lakhs) was due to non-receipt of approval for

अनुमोदन प्राप्त न किए जाने और प्रशासन से फाइबर रीइनफोरज्ड प्लास्टिक डोंगी और आउटबोर्ड मोटरों का अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''बंदरगाह पुलिस - पुलिस समुद्रीय बल''- 163.68 लाख रु. की बचत (232.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो पुलिस गश्ती नौकाओं के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीज़ल/गैस विद्युत उत्पादन-अन्य व्यय - विद्युत की खरीद'' के अंतर्गत 380.82 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप और सुनामी के कारण 20 मेगावाट विद्युत गृह के बंद हो जाने की वजह से विद्युत की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन तथा प्रशासन - सिविल पूर्ति विभाग'' के अंतर्गत 110.10 लाख रु. की बचत (424.31 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू ईंधन के रूप में फायरवुड के प्रतिस्थापन के लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों के लिए द्रव पैट्रोलियम गैस उपलब्ध कराए जाने संबंधी स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - मध्याह्न भोजन'' के अंतर्गत 230.57 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय राहत के अंतर्गत जहां बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता था वहां भूकंप तथा सुनामी के कारण दक्षिणी द्वीपसमूहों में मध्याह्न के भोजन का वितरण न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी'' के अंतर्गत 1693.00 लाख रु. की बचत (9885.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी के कारण धनराशि का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''मशीनरी और उपस्कर - नई पूर्तियां''- 113.09 लाख रु. की बचत (725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

purchase of new vehicles from Ministry of Home Affairs and Fibre Reinforced Plastic dinghies and Outboard Motors from Administration.

(C) "Harbour Police - Police Marine Force" - saving of Rs.163.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.232.50 lakhs) was due to slow progress in construction of two Police Patrol Boats.

(III) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure – Purchase of Power" – saving of Rs. 380.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was due to non-purchase of power owing to shut down of 20 MW power house on account of earthquake and Tsunami.

(IV) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration – Civil Supplies Department" – saving of Rs.110.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.424.31 lakhs) was due to non-approval of scheme for providing Liquid Petroleum Gas for below poverty line beneficiaries for replacement of firewood as a domestic fuel.

(V) Under Major Head "2202" – "Elementary Education – Other Expenditure – Mid-Day Meals"- saving of Rs.230.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-distribution of Mid Day Meals in the southern group of Islands on account of earthquake and Tsunami where the children were provided free meals under Central Relief.

(VI) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Payment to S.C.I."- saving of Rs.1693.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9885.00 lakhs) was due to adjustment of amount on account of payment to Shipping Corporation of India.

(VII) Under Major Head "2059" - "General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipment - New Supplies"- saving of Rs.113.09 lakhs (against the

की तुलना में) मशीनरी तथा उपस्करों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''उचंत - स्टॅाक''- 417.70 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग के प्रभागों की कम आवश्यकता होने के कारण भंडारों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत 203.27 लाख रु. की बचत (225.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृति प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(IX) दस शीर्षों के अंतर्गत 709.74 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1028.92 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''होमगार्ड - स्थापना'' - 117.29 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 110.99 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - जिला परिषद/जिला परिषद पंचायत - प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना''- 100.00 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''परिवहन की खरीद तथा रख-रखाव - मरम्मत तथा अनुरक्षण''- 150.63 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 141.13 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - अंत:द्वीप जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार''- 661.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 646.42 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

sanctioned provision of Rs.725.00 lakhs) was due to non-purchase of machinery and equipments.

(B) "Suspense - Stock" - saving of Rs.417.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-procurement of stores on account of less requirement of Divisions of Andaman Public Works Department.

(VIII) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations–Grants-in-aid to Voluntary Organisations" - saving of Rs.203.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.50 lakhs) was due to non-receipt of sanction.

(IX) Under ten heads savings of Rs.709.74 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 22 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1028.92 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure – II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2070" - "Home Guards - Establishment" - Rs.117.29 lakhs. Actual excess, however, was Rs.110.99 lakhs.

(B) Major Head "2215" - "Water Supply - Zilla Parishad/District Level Panchayat - Prime Minister's Gramodaya Yojana" - Rs.100.00 lakhs.

(C) Major Head "2070" - "Purchase and Maintenance of Transport - Repairs and Maintenance" - Rs.150.63 lakhs. Actual excess, however, was Rs.141.13 lakhs.

(D) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - Rs.661.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.646.42 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''बाढ़, चक्रवात आदि - शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी - प्राकृतिक विपत्ति''- 2303.27 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 10002.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्थायी आश्रय के लिए सामग्री, अनुग्रहपूर्वक राहत और अन्य संबंधित मदों की अदायगी पर व्यय किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2210''-

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां - जी.बी.पंत अस्पताल''- 207.66 लाख रु. का अधिक व्यय (1544.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक्टरों को प्रैक्टिसबंदी भत्ता और महंगाई वेतन के कारण बकायों की अदायगी किए जाने और बिजली प्रभारों के कारण हुआ।

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी''-

(i) ''प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम''- 102.61 लाख रु. का अधिक व्यय (832.85 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के कारण कर्मचारियों को बकायों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''अस्पताल तथा औषधालय - अन्य अस्पताल''- 113.72 लाख रु. का अधिक व्यय (793.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के कारण कर्मचारियों को बकायों की अदायगी किए जाने और मेडिकल स्टोर डिपो को भुगतान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक स्कूल - प्राथमिक शिक्षा''- 298.81 लाख रु. का अधिक व्यय (4110.98 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलयन किए जाने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय''- 438.21 लाख रु. का अधिक व्यय (2796.99 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिलों के निपटान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2245" – "Flood, Cyclones etc. - Ex-Gratia Payments to Bereaved Families - Natural Calamities" – excess of Rs.2303.27 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.10002.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs) was due to expenditure on materials for temporary shelters, payment of ex-gratia relief and other related items.

(B) Major Head "2210" –

(a) "Urban Health Services – Allopathy – Hospital and Dispensaries – G.B. Pant Hospital" – excess of Rs.207.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1544.60 lakhs) was due to payment of arrears on account of non-practicing allowance and dearness pay to Doctors and electricity charges.

(b) "Rural Health Services – Allopathy" –

(i) "Primary Health Centres - Primary Health Scheme" - excess of Rs.102.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.832.85 lakhs) was due to payment of arrears to staff on account of Assured Career Progression scheme.

(ii) "Hospital and Dispensaries - Other Hospitals" - excess of Rs.113.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.793.50 lakhs) was due to payment of arrears to staff on account of Assured Career Progression Scheme and release of payment to Medical Store Depot.

(C) Major Head "2202" – "Elementary Education – Government Primary Schools – Primary Education" – excess of Rs.298.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4110.98 lakhs) was due to additional requirement on account of merger of 50% Dearness Allowance into Dearness Pay.

(D) Major Head "2202" – "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" – excess of Rs.438.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2796.99 lakhs) was due to additional requirement for settlement of transfer travelling allowance bills of retired employees.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन - गोदी बेड़ा तथा शुष्क नौघाट - सरकारी गोदी बेड़ा"- 448.11 लाख रु. का अधिक व्यय (2466.78 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का महंगाई वेतन के रूप में विलयन किए जाने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने तथा नए जलयानों के समावेशन की वजह से पेट्रोल, तेल और स्नेहकों की खपत में वृद्धि होने के कारण भी हुआ।

(E) Major Head "3051" – "Minor Ports – Dockyards and Drydocking – Government Dockyard" – excess of Rs.448.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2466.78 lakhs) was due to additional requirement on account of merger of Dearness Allowance as Dearness Pay and also on account of increase in consumption of Petrol, Oil and Lubricant owing to induction of new vessels.

(चा) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - निदेशन तथा प्रशासन - निष्पादन"- 144.74 लाख रु. का अधिक व्यय (1129.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राकृतिक विपत्ति अग्रिम की अदायगी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने और मकान किराया भत्ते, विशेष प्रतिपूर्ति भत्तों की दर में वृद्धि किए जाने और महंगाई वेतन के रूप में 50% महंगाई भत्ते का विलयन किए जाने के कारण हुआ।

(F) Major Head "2059" – "General – Direction and Administration – Execution" – excess of Rs.144.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1129.07 lakhs) was due to meeting the additional requirement for payment of natural calamity advances and enhanced rate of House Rent Allowances, Special Compensatory Allowances and merger of 50% Dearness Allowance as Dearness Pay.

(III) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 869.53 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 162 प्रतिशत तक था।

(III) Under eleven heads excess of Rs.869.53 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 to 162 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
घ-विद्युत मंत्रालय	**D - Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2572.00	3132.00	2973.38	–158.62
पु.	R.	560.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
द-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5054'' सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	**R - Ministry of Road Transport and Highways** Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	2585.00	3206.00	3159.12	–46.88
पु.	R.	621.00			
ध-जहाजरानी मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5051'' पत्तनों और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	**S - Ministry of Shipping** Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	1219.00	1572.00	1514.51	–57.49
पु.	R.	353.00			
मुख्य शीर्ष "5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5995.00	4546.00	4529.41	–16.59
पु.	R.	–1449.00			

(I) 183.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.183.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5054'' - "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - सड़कों का निर्माण'' के अंतर्गत 216.00 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप तथा सुनामी की वजह से दक्षिणी समूह के द्वीपसमूहों में चालू निर्माण कार्यों में निधियों के प्रयुक्त न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5054" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Construction of Roads"- saving of Rs.216.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds of on-going works in southern group of Islands owing to earthquake and Tsunami.

(III) मुख्य शीर्ष "5051'' - "लघु पत्तन - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - जेट्टियों का निर्माण'' के अंतर्गत 176.44

(III) Under Major Head "5051" - "Minor Ports-Tribal Area Sub-Plan - Construction of Jetties"-

लाख रु. की बचत (319.66 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप/सुनामी की वजह से जनजातीय क्षेत्रों में योजना कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - पोतों की खरीद" के अंतर्गत 1800.70 लाख रु. की बचत (4413.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 500 पेक्स जलयानों के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) तेरह शीर्षों के अंतर्गत 992.82 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1153.11 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "4801"-

(i) "डीजल, गैस, विद्युत उत्पादन - अन्य विद्युत गृह- विद्युत संयंत्र तथा अनुषंगी निर्माण कार्य"- 523.79 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 505.00 लाख रु. था।

(ii) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक व्यय"- 123.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 113.55 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन - अन्य छोटे पत्तन - पत्तन उपस्कर तथा मशीनरी"- 505.62 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 469.36 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य"-

(i) "जिला सड़कें"- 393.97 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए

saving of Rs.176.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.319.66 lakhs) was due to non-execution of plan work in Tribal Areas owing to Earthquake/Tsunami.

(IV) Under Major Head "5052" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - saving of Rs.1800.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4413.00 lakhs) was due to slow progress of construction of 500 pax vessel.

(V) Under thirteen heads savings of Rs.992.82 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 82 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.1153.11 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure – II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "4801" –

(i) "Diesel Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - Rs.523.79 lakhs. Actual excess, however, was Rs.505.00 lakhs.

(ii) "General - Direction and Administration - Administrative Expenditure" – Rs.123.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.113.55 lakhs.

(B) Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - Rs.505.62 lakhs. Actual excess, however, was Rs.469.36 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "5054" - "District and other Roads – Road Works" –

(i) "District Roads" – excess of Rs.393.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to meeting the

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के पास जमा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''ग्रामीण सड़कें''- 218.63 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी प्रभावित सड़कों के जीर्णोद्धार और अन्य चालू निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - टनभार का अधिग्रहण तथा विस्तार - पोतों की खरीद''- 335.11 लाख रु. का अधिक व्यय (1582.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयानों तथा परामर्शी प्रभारों के लिए अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 303.97 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 192 प्रतिशत तक था।

additional requirement to deposit with Andaman Lakshadweep Harbour Works to complete the on-going works.

(ii) “Rural Roads” – excess of Rs.218.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to meeting the expenditure on restoration of Tsunami affected roads and other on-going works.

(B) Major Head “5052” – “General – Acquisition and Expansion of Tonnage – Purchase of Ships” – excess of Rs.335.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1582.00 lakhs) was due to payment for vessels and consultancy charges.

(III) Under four heads excess of Rs.303.97 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 192 percent of the sanctioned provision.